भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1015
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

व्यवसाय पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना

1015. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः
डॉ. लता वानखेड़े:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कारपोरेट क्षेत्र में सुधार लाने और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए व्यवसाय पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कौन-सी प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इन योजनाओं का कारोबार पर क्या प्रभाव पड़ा है;
(ख) सरकार व्यवसाय लाइसेंस और परमिट प्राप्त करने में होने वाले विलंब का समाधान किस प्रकार कर रही है;
(ग) व्यवसायों के लिए कर अनुपालन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार की केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच विनियामक अधिव्यापन को कम करने की कोई योजना है; और
(ङ) सरकार द्वारा छोटे व्यवसायों के लिए ऋण तक पहुंच में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): व्यवसाय पंजीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने स्पाइस+ नामक एक वेब प्ररूप प्रारंभ किया है, जो एजीआईएलई प्रो-एस नामक एक लिंक किए गए प्ररूप के साथ एकल एकीकृत वेब प्ररूप के माध्यम से ग्यारह शुरुआती व्यवसाय संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।
- केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) की स्थापना 22.01.2016 को नाम आरक्षण और कंपनियों के निगमन के लिए की गई थी ताकि आवेदनों की एकरूपता, स्थिरता और तेजी से प्रसंस्करण सुनिश्चित किया जा सके।

जारी.....2/-

- नवीनतम बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी 2024) संस्करण अनुपालन बोझ को कम करने (आरसीबी), डिक्रिमिनलाइजेशन और बी-रैडि जैसे सुधारों की एक नई लहर पेश करता है। उद्योग परामर्श सरलीकरण के क्षेत्रों की पहचान करने में महत्वपूर्ण रहे हैं, जिससे बीआरएपी प्लस (बीआरएपी+) की शुरुआत हुई है, जो 70 नए सुधारों को जोड़ता है, और व्यापार के माहौल में सुधार के लिए विशिष्ट उद्योग चुनौतियों का समाधान करता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि ढांचा विकसित व्यावसायिक परिदृश्य में प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे, अद्यतन बीआरएपी 2024 में अब कुल 344 सुधार शामिल हैं।
- अनुपालन बोझ को कम करना (आरसीबी): आरसीबी पहल के परिणामस्वरूप देश भर में अनुपालन में 42,000 से अधिक कटौती हुई है।
- कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 12 के अनुसार, कंपनियों को निगमन के उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय नियामकों से अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक घोषणा करने की आवश्यकता होती है कि व्यवसाय शुरू होने के समय आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा।

(ग): सरकार ने व्यवसायों के लिए कर अनुपालन को सरल और कारगर बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं

जीएसटी अनुपालन उपाय:

- और सख्त रिटर्न फाइलिंग: माल और सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न की समय पर और सटीक फाइलिंग को लागू करना। इसमें प्ररूप जीएसटीआर-1 (बाहरी आपूर्ति विवरण) फ़ाइल करने पर प्रतिबंध शामिल है यदि करदाता ने प्ररूप जीएसटीआर-3बी फ़ाइल नहीं किया है।
- अनुक्रमिक फाइलिंग: सिस्टम अब प्ररूप जीएसटीआर-3बी फ़ाइल करने से पहले प्ररूप जीएसटीआर-1 की क्रमिक फाइलिंग को अनिवार्य करता है। इसका उद्देश्य रिपोर्टिंग में सटीकता सुनिश्चित करना है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) सीमाएं: इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ को इस हद तक सीमित करने के लिए संशोधन पेश किए गए हैं कि आपूर्तिकर्ता ने प्ररूप जीएसटीआर-1 में आपूर्ति का विवरण घोषित किया है और यह जानकारी करदाता के प्ररूप जीएसटीआर -2बी में परिलक्षित होती है।
- सिस्टम-आधारित सूचनाएं: स्व-अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, सिस्टम करदाताओं को एक स्वचालित अधिसूचना उत्पन्न करेगा जब प्ररूप जीएसटीआर -1 और प्ररूप जीएसटीआर -3 बी के बीच रिपोर्ट की गई देयता में अंतर होगा, जिससे उन्हें विसंगति को सुधारने या स्पष्टीकरण प्रदान करने का अवसर मिलेगा।

सीमा शुल्क स्ट्रीमलाइनिंग:

- डिजिटल पहल: दस्तावेज़ पिछले पाँच वर्षों में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में डिजिटल परिवर्तन पर ज़ोर देता है, जिसमें "फेसलेस असेसमेंट" और पेपरलेस प्रक्रियाएँ जैसे माल का वेब-आधारित पंजीकरण, कुछ वस्तुओं की स्वचालित निकासी और जोखिम आधारित निरीक्षण शामिल हैं।
- अधिमान्य शुल्क दरें: सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियमों की शुरूआत आयातकों को प्रभावी ढंग से अधिमानी शुल्क दरों का दावा करने की अनुमति देती है।
- विनिमय दर स्वचालन: विनिमय दरों का स्वचालन मैन्युअल प्रक्रियाओं को कम करता है।

(घ): सरकार ने व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) और विनियामक अनुपालन पोर्टल के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच विनियामक ओवरलैप्स का समाधान करने के उपाय किए हैं। पोर्टल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है।

(ङ): सरकार ने लघु व्यवसायों को ऋण प्रवाह में सुधार लाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता देने के लिए अनेक पहलें की हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहलें इस प्रकार हैं:

- वित्त पोषण के लिए बहु योजनाएं: सरकार ने वित्त तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस) और एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना जैसी विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। ये कार्यक्रम एमएसएमई को ऋण देने को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी, कोलेटरल-फ्री-लोन और क्रेडिट गारंटी प्रदान करते हैं।
- क्रेडिट गारंटी संवर्द्धन: क्रेडिट गारंटी योजना को कम लागत पर अतिरिक्त क्रेडिट प्रवाह को सक्षम करने के लिए धन के महत्वपूर्ण इन्फ्यूजन के साथ बढ़ावा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह योजना अब महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए बढ़ी हुई गारंटी कवरेज प्रदान करती है।
- मुद्रा ऋण: सूक्ष्म उद्यमों को अधिक वितीय सहायता प्रदान करने के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है।
- उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म (यूएपी): यूएपी को अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिये लॉन्च किया गया था, जिससे उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लाभों तक पहुँचने में सक्षम बनाया जा सके।
- ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस): टीआरईडीएस एमएसएमई व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा के लिये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे विलंबित भुगतान की समस्या का समाधान होता है। टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर खरीदारों के लिए सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- कोलेटरल आवश्यकताएं: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोलेटरल की आवश्यकता नहीं करने के लिए अनिवार्य किया गया है।
- ऋण प्रवाह को सुव्यवस्थित करना: बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे एमएसएमई क्षेत्र के लिये अपनी ऋण नीतियों को समायोजित करें ताकि अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सीमा, नियमित कार्यशील पूंजी सीमाओं की मध्यावधि समीक्षा और समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये ऋण निर्णयों के लिये समय-सीमा निर्धारित की जा सके।

- क्रेडिट निर्णयों के लिए समय-सीमा: एमएसई उधारकर्ताओं को 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई है कि क्रेडिट निर्णयों के लिए समय-सीमा 14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- फैक्टरिंग लेनदेन के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण स्थिति: बैंकों द्वारा 'विद रिकोर्स' फैक्टरिंग लेनदेन, जहां समनुदेशिती एमएसएमई है, एमएसएमई श्रेणी के तहत प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। टीआरईडीएस के माध्यम से फैक्टरिंग लेनदेन भी प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण के लिए योग्य हैं।
- एमएसएमई को ऋण पर ब्याज की दरें: बैंकों को 1 अक्टूबर, 2019 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने की सलाह दी गई है। मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों को भी 1 अप्रैल, 2020 से बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा गया है। ऋण के लिए रीसेट क्लॉज को घटाकर तीन महीने कर दिया गया है। बाह्य बेंचमार्क प्रणाली के अंतर्गत, बैंकों को मौजूदा उधारकर्ताओं को बाह्य बेंचमार्क आधारित ब्याज व्यवस्था में परिवर्तन का विकल्प प्रदान करने की सलाह दी गई है।
- विनियामक खुदरा पोर्टफोलियो: सिंगल काउंटर प्रार्टी के लिये विनियामक खुदरा पोर्टफोलियो की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपये कर दी गई। बैंक 7.50 करोड़ रूपए तक के काउंटर प्रार्टी जोखिम के साथ एमएसएमई संस्थाओं को 75% एक्सपोजर का कम जोखिम भार निर्दिष्ट कर सकते हैं।
- बैंकों और एनबीएफसी द्वारा को-लेंडिग: "को-लेंडिग मॉडल" बैंकों और एनबीएफसी को एमएसएमई सहित कम सेवा वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में सुधार के लिये सहयोग करने की अनुमति देता है।
- नियामक सैंडबॉक्स (आरएस): आरबीआई ने प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से नवाचारों को बढ़ावा देने के लिये एमएसएमई ऋण देने के लिये एक नियामक सैंडबॉक्स खोला है।
- अकाउंट एग्रीगेटर (एए) ढांचा: आरबीआई ने वित्तीय जानकारी के सुरक्षित और कुशल साझाकरण को सक्षम करने के लिये एए ढाँचे की सुविधा प्रदान की है। इसमें एमएसएमई ऋण के लिए वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में जीएसटीएन की ऑनबोर्डिंग शामिल है।

*****